रोक्ड Adc

9967

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

A 711750

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

MK

डिक्लेरेशन आफ ट्रस्ट

यह कि हम कि संस्थापक /अध्यक्ष तेजपाल सिंह आयु 61 वर्ष पुत्र श्री रिसाल सिंह प्रथम पक्ष सचिव श्रीमति सुमेर देवी पत्नी श्री तेजपाल सिंह उम्र 60 वर्ष द्वितीय पक्ष हाल निवासी ग्राम व डा0 बामनौली तहसील बड़ौत जिला बागपत का हूँ जिन्दगी का कोई भरोसा नही है प्रथम पक्ष की दिली ख्वाहिश हैकि शैक्षिक/खादीग्रामोद्योग/पचायतउद्योग/ग्राम — विकास/साहित्य/विज्ञान /ललित/कलाओ /धार्मिक कार्य/ सामाजिक हित के सत्कार्य के उपयोगी कार्यो का प्रचार एव प्रसार शुरू करू। जिसके प्रयोजनो से मेरे परिवार के सदस्यो को एव जनहित को लाभ पहूँचे । इसलिए मै ट्रस्ट बना रहा हूँ । जो शर्ते डिक्लेरेशन आफ ट्रस्ट के सम्बन्ध मे मेरे मस्तिष्क एव मन मे आये उनको बाबत्ते तहरीर में हन्दजेल लाया जा रहा हैं ।

1— यह कि ट्रस्ट का नाम रिसाल सिंह शिक्षा प्रचार ट्रस्ट होगा । जिसका कार्यालय ग्राम बामनौली तहसील बड़ौत जिला बागपत मे होगा

2— यह कि मै उक्त ट्रस्ट की स्थापना अफन 10000/—(दस हजार रूप्ये) से एक मात्र स्वामी व अधिकारी हैं।

3— यह कि उक्त ट्रस्ट जनहित ट्रस्ट है और रहेगा, जिसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित होगें ।

(1) यह कि ट्रस्ट विकलाग/निर्धन व अनाथ बालक/बालिकाओ तथा बेसहारा महिलाओ के लिए आधुनिक शिक्षा एव नवीनतम तकनीकी शिक्षा तथा कम्पयूटर एव ब्यूटी पार्लर तथा संगीत शिक्षा एव मोबाईल ट्रेनिंग आदि शिक्षण एव प्रशिक्षण जैसे सुलभ केन्द्रो की स्थापना कर उनके —

तेजपालसिंह

सुमेर देवी

तेजपालसिंह
अध्यक्ष
रिसाल सिंह शिक्षा प्रचार ट्रस्ट
ग्राम व पो० बामनौली
जिला बागपत उ० प्र०

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

रु. 100

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Z 711699

(7) यह कि ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत वर्ष मे ग्रामीण एव शहरी क्षेत्रो मे शिक्षा के प्रचार प्रसारहेतू सभी वर्गो के लिये हिन्दी, उर्दू, अंग्रेजी, साईंस, अरबी, फारसी आदि की शिक्षा हेतु नर्सरी, प्राईमरी जूनियर, हाई स्कूल, उच्च माध्यमिक एव डिग्री कालेज तथा दूरस्थ शिक्षा तथा रिसर्च, स्वास्थ, आधुनिक व्यवसायिक एव आधुनिक तकनीकी आदि संस्थाओ की स्थापना कर उनका संचालन करना ।

(8) कोई अन्य कार्य जो ट्रस्ट के उद्देश्य की प्राप्ति मे सहायक हो।

(9) ट्रस्ट के उद्देश्य मे सहायक केन्द्र एव राज्य सरकार की सभी योजनाओ को क्रियान्वयन एव सम्पादन करना ।

(10) अनुचित जाति एव अनुसूचित जनजाति व अल्पसंख्यक एव पिछडे वर्ग तथा समाज के सभी वर्गो के जरूरतमद छात्र /छात्राओ के लिये छात्रवृत्ति व अन्यसहायता समाज कल्याण विभाग व केन्द्र व राज्य सरकार से प्राप्त करना तथा जरूरत मद छात्र/छात्राओ को छात्रवृत्ति व सहायकता करना ।

(11) सरकारी सहायता प्राप्त करना तथा सरकारी नौइलट का विजनेश प्रमोटर एव मास्टर फ्रेन्चाईजी बनाकर उसे चलाने का कार्य करना तथा ट्रस्ट के अर्न्तगत कम्प्यूटर आदि का प्रशिक्षण देना एव सर्विस प्रोवाईड करवाना ।

(12) ग्रामीण एव शहरी बस्तियो का शैक्षिक विकास करना ।

अध्यक्ष
रिसाल सिंह शिक्षा प्रचार ट्रस्ट
ग्राम व पो० बामनौली
जिला बागपत उ० प्र०

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

INDIA

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH G 632059

(13) देश के महान विचारकों के विचारों को गोष्ठियों के माध्यम से समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुँचाना ।

(14) प्राकृतिक पर्यावरण को स्वच्छ बनाये रखने हेतु कार्य करना, जैसे पेड़ लगाना, बाग लगाना सिंचाई के साधन बनाना आदि ।

(15) केन्द्र एवं राज्य सरकार की जनहित सभी योजनाओं को क्रियान्वयन एवं सम्पादन करना ।

4– जनमानस के सर्वांगीण विकास के सभी कार्यों को भारतवर्ष में आवश्यकतानुसार शुरू करेगा तथा उस पर मजकूर के नाम का पत्थर लगा दिया जायेगा ।

5– यह कि उक्त ट्रस्ट मजकूर कमेटी जो मैनेजमेन्ट करने के लिये तजवीज की गयी वह निम्नलिखित ट्रस्टी एवं पदाधिकारी होंगे।

6– क्र0 नाम/पिता/पति का नाम स्थायी पता पद

(1)श्रीमति सीमा देवी पत्नी श्री हरेन्द्र नि0	ग्राम बामनौली	कोषाध्यक्ष
(2)रविन्द्र सिंह पुत्र श्री तेजपाल सिंह	ग्राम बामनौली	सदस्य
(3)धर्मेन्द्र सिंह पुत्र श्री तेजपाल सिंह	ग्राम बामनौली	सदस्य

7– यह कि उक्त ट्रस्ट मजकूर के इन्तजाम व देखभाल उपरोक्त ट्रस्ट कमेटी सर अन्जाम देगी और इन्तजामात वगैरा करने के —

तेजपालसिंह

अध्यक्ष

रिसाल सिंह शिक्षा प्रचार ट्रस्ट

ग्राम व पो० बामनौली

जिला बागपत उ० प्र०

तेजपालसिंह

सीमा देवी

Scanned with CamScanner

लिये ट्रस्ट एवं सचिव रूल्स एवं रेगूलेशन बनायेगें। जो सभी ट्रस्टीयो को मान्य होगे ।ट्रस्ट के लिये समस्त कार्यवाही अध्यक्ष/सचिव के हस्ताक्षर से की जायेगी ।

8– यह कि कमेटी के इन्तजाम व देखभाल मैनजमैन्ट अख्त्यारात मे किसी भी दीगर शख्स को किसी भी किस्म का कोई दखल या एतराज करने का अख्तयार हासिल नही होगा ।

9– सचिव का पद वैतनिक रहेगा तथा सचिव के अतिरिक्त अन्य सभी ट्रस्टीयो का पद अवैतनिक होगा। लेकिन ट्रस्ट के हित में किए गये सभी कार्यो के लिये सचिव उन्हे अपने विवेक से भत्ता आदि देने के लिए अधिकृत होगें ।

10– ट्रस्ट द्वारा चलायी गयी संस्थाओं में साप्ताहिक छुट्टी, रविवार की होगी सचिव को संस्थओं में अधिकारी/कर्मचारियों की नियुक्ति , पदोन्नति तथा सेवा से पृथक करने आदि का अधिकार होगा व यथासमय स्थिति देखकर निर्णय कर सकते है ।

11– यह कि ट्रस्ट के संस्थपक /अध्यक्ष श्री तेजपाल सिंह होगे जो आजीवन अध्यक्ष रहेगे तथा इनके बाद अध्यक्ष का निर्वाचन इनके उत्तराधिकारियो की आपसी सहमति से होगा ।

12– यह कि वैतनिक सचिव का पुत्र/ वैतनिक सचिव ही रहेगा उनके द्वारा स्वेच्छा से भी ट्रस्ट के कार्यो को देखते हुए यथा समय कोई भी निर्णय लिया जा सकता है ।

13– यह कि किसी सदस्य को ट्रस्ट सदस्य बनाना चाहेगे तो अध्यक्ष/सचिव की स्वीकृत प्राप्त कर ट्रस्ट का सदस्य बन सकता है ।

14– यह कि ट्रस्ट की तरक्की के सिलसिले में अगर कोई व्यक्ति उपरोक्त ट्रस्ट को डोनेशन देने का ख्वाहिश मन्द होगा तो वह व्यक्ति चल अचल सम्पति या कैश ट्रस्ट मजकूर के सचिव को अथवा अध्यक्ष/ सचिव के द्वारा अधिकृत व्यक्ति को दे सकेगा।

15– यह कि उपरोक्त ट्रस्ट के नाम के नाम किसी भी राष्ट्रीयकृत

अध्यक्ष
रिसाल सिंह शिक्षा प्रचार ट्रस्ट
ग्राम व पो० बामनौली
जिला बागपत उ० प्र०

Scanned with CamScanner

या अन्तराष्ट्रीयकृत बैंक अथवा प्राईवेट बैंक में एकाउन्ट खोला जायेगा ।ट्रस्ट की प्राप्त धनराशि राष्ट्रीयकृत या अन्तराष्ट्रीयकृत या प्राईवेट बैंक में से किसी एक बैंक मे खोले गये बैंक खाते मे जमा की जायेगी खाते का संचालन ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं सचिव करेगे ।ट्रस्ट के अध्यक्ष आवश्यक समझाते है तो ट्रस्ट के खातो मे कोषाध्यक्ष किसी अन्य को संयुक्त रूप से खाता संचालन मे नामित कर सकते है ।

16— यह कि ट्रस्ट की रकूमात व चल अचल सम्पत्ति व आमदनी व खर्च वगैरा का सब मुकम्मिल हिसाब ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष अपने पास रखेगें ।

17— यह कि ट्रस्ट के हिसाब किताब का आडिट 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा । तथा ट्रस्ट द्वारानियवित आडिटर अथवा सी0एव द्वारा आडिट मान्य होगा। वार्षिक आम सभा आर्थिक वर्ष1 अप्रैल से 31 मार्च की समाप्ति के तीन माह के अन्दर अवश्य बुलायी जायेगी ।

18— यह कि ट्रस्ट की रकूमत व चल अचल सम्पत्ति जनहित में ही लगायी जायेगी जिससे मानव प्राणी का कल्याण हो सकेगा ।

19— यह कि ट्रस्ट कमेटी अध्यक्ष/सचिव की राय से ट्रस्ट की जायदादमुन्तकिल व फरोख्त कर सकेगी और ट्रस्ट के नाम जायदाद खरीद सकेगें अथवा दान ले सकेंगे ।

20— यह कि ट्रस्ट कमेटी के दरमियान किसी किस्म का कोई मतभेद होगा तो उसको मुशतरफा राय व मशवरे से अध्यक्ष से तय माना जायेगा। तथा ट्रस्ट के मुतालिकाकिसी भी किस्म के वाद तय करने का मेरठ न्यायालय का क्षेत्राधिकार रहेगा ।

21— सदस्यता रजिस्टर कार्यवाही रजिस्टर केश बुक ,लेजर एजेण्डा रसीद बुक, स्टाक रजिस्टर, डाक पजिका आदि जो आवश्यक हों रखे जायेगें ।

22— यह कि ट्रस्ट का विघटन अथवा विलीयकरण ट्रस्ट की समस्त सम्पत्तियों के निस्तारण तथा समस्त देनेदारी की कार्यवाही उपरान्त ही विघटन अथवा विलीयकरण किया जा सकता है

तेजपालसिंह

तेजपालसिंह
अध्यक्ष
रिसाल सिंह शिक्षा प्रचार ट्रस्ट
ग्राम व पो० बामनौली
जिला बागपत उ० प्र०

Scanned with CamScanner

विघटन एवं विलीनीकरण की सूचना सार्वजनिक रूप से करनी अनिवार्य होगी ।

23- यह कि एतद द्वारा स्थापित किया गया ट्रस्टपति सहरणीय होगा परन्तु यदि किसी कारण वश से ट्रस्ट का संचालन करने मे असमर्थ होगें तो ट्रस्ट की सभी सम्पत्तियों /परिसम्पत्तियों को निस्तारण कर ट्रस्ट की सभी देनदारियों का भुगतान करने एव आजीवन ट्रस्टीयो के अनुमोदन के पश्चात ही ट्रस्ट का विघटन कर सकते है ।

24- ट्रस्ट की सम्पत्ति /अचल/ सम्पत्ति को बंधक रख कर ट्रस्ट के उद्देश्य के लिये उधार /ऋण/बैंक गारन्टी प्रबन्ध समिति के निर्णयनुसार लिया जा सकता है जिस पर अध्यक्ष/सचिव के हस्ताक्षर मान्य होगें ।

25- यह कि ट्रस्ट के उदेश्यो की पूर्ति हेतू दान चन्दा ऋण, अनुदान, भूमि, भवन,चल अचल सम्पत्ति आदि विभिन्न स्रोतो जैसे सरकारी/गैरसरकारी /शासन–विभाग/बैंक आदि से सम्पर्क कर प्राप्त करने हेतू सचिव एवं अध्यक्ष अधिकृत होगें तथा प्राप्त पूंजी ट्रस्ट हित मे ही लगायी जायेगी ।

26- यहा कोई भी ट्रस्टी ऐसा कार्य नही करेगा जिससे ट्रस्ट की बदनामी या ट्रस्ट की जायदाद को कोई नुकसान पहुँचे उपरोक्त सभी पर लागू होगी ।

27- यदि ट्रस्ट के किसी संस्थान को बन्द करना है अथवा ट्रस्ट की सम्पत्ति को विक्रय /नीलामी करना है तो उसका निर्णय अध्यक्ष के द्वारा होगा ।

28- अध्यक्ष /सचिव समय समय पर सामाजिक, धार्मिक, पारमार्थिक कार्यो के प्रबन्ध एवं संचालन हेतू उपसमति नियुक्त करने एवं नियम तथा कार्यपाल आदि बनाने का अधिकार होगा

29- यह कि ट्रस्ट की डीड अध्यक्ष/ संस्थापक द्वारा पंजीकृत करायी गयी है ।

गवाह - हरेन्द्र [illegible]

हरेन्द्र सिंह

गवाह - [illegible]

तेजपाल सिंह
अध्यक्ष
रिसाल सिंह शिक्षा प्रचार ट्रस्ट
ग्राम व पो० बामनौली
जिला बागपत उ० प्र०

Scanned with CamScanner

ʻ ।।२,

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 916211

पूरक पत्र

प्रारूपकर्ता–रविन्द्रसिंह तोमर एडवोकेट बडौत।

स्टाम्प पत्र–01 किता,कीमती–100/–रुपये ।

हम कि संस्थापक अध्यक्ष तेजपालसिंह पुत्र श्री रिसालसिंह व सचिव श्रीमति सुमेर देवी पत्नी श्री तेजपालसिंह निवासीगण ग्राम बामनौली तहसील बडौत जनपद बागपत के है । हम दोनो ने एक ट्रस्ट डीड दिनांक 26.10.09 को उपनिबंधक कार्यालय बडौत के यहां पंजीकृत करायी थी जिसका पंजीकरण फोटो स्टेट प्रति पुस्तक संख्या प्रथम खण्ड 2349 के पृष्ठ 215/230 पर नम्बर 9967 पर पंजीकृत है । उक्त ट्रस्ट डीड रिसालसिंह शिक्षा प्रचार ट्रस्ट के नाम से पंजीकृत है । जिसके पदाधिकारी श्रीमति सीमा पत्नी श्री हरेन्द

तेजपालसिंह

तेजपालसिंह
अध्यक्ष
रिसाल सिंह शिक्षा प्रचार ट्रस्ट
ग्राम व पो० बामनौली
जिला बागपत उ० प्र०

Scanned with CamScanner

सिंह निवासी बामनौली कोषाध्यक्ष व रविन्द्रसिंह पुत्र श्री तेजपालसिंह निवासी ग्राम बामनौली सदस्य व धर्मेन्द्रसिंह पुत्र श्री तेजपालसिंह निवासी बामनौली सदस्य है । जिसके सम्बन्ध में हम पूरक पत्र करते है कि मै0 रिसालसिंह शिक्षा प्रचार ट्रस्ट का उददेश्य ट्रस्ट डीड उक्त में लिखे कार्यों के अनुसार होगा और वह संस्था सैल्फ फाईनेंस शिक्षा संस्था स्थापित की जा रही है । उक्त संस्था बिना किसी लाभ हानि के कार्य करेगी । अर्थात ट्रस्टीकरण उक्त संस्था से कोई लाभ प्राप्त नही करेगे तथा जो पैसा संस्था में आयेगा उसका प्रयोग संस्था से सम्बंधित कार्यों मे ही किया जायेगा । - - - - -

तेजपालसिंह

तेजपालसिंह
अध्यक्ष
रिसाल सिंह शिक्षा प्रचार ट्रस्ट
ग्राम व पो० बामनौली
जिला बागपत उ० प्र०

बाद पूरक पत्र अपनी संज्ञा में पढ़कर लिख दिया कि सनद हो और समय पर काम आवे। तहरीर तारीख 27.01.2011ई0, प्रारूपकर्ता– रविन्द्रसिंह तोमर एडवोकेट बड़ौत।

नरेन्द्र [illegible]

टंकक– [illegible]

साक्षी– नरेन्द्र सिंह पु. शीतल नि बामनौली

कुलदीप पु. ओमपाल नि० बामनौली

साक्षी–

तेजपालसिंह

कपूरी देवी

तेजपालसिंह
अध्यक्ष
रिसाल सिंह शिक्षा प्रचार ट्रस्ट
ग्राम व पो० बामनौली
जिला बागपत उ० प्र०

Scanned with CamScanner

27/01/2011

2829
913

361/374